

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन- 462 004

क्रमांक एफ, 11-19/2014/1-10

भोपाल, दिनांक 19-9-2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
म.प्र।

विषय:-लोकायुक्त संगठन से प्राप्त जांच प्रतिवेदनों पर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही किये जाने बाबत।


- संदर्भ:-1. सा.प्र. वि. का परिपत्र क्रमांक 11-86-92-1-10, दिनांक 08/05/1992
2. सा.प्र.वि. का परिपत्र क्रमांक एफ 11-9/2014/1-10 दिनांक 30/04/2014

—00—

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 12 के प्रावधानानुसार मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त के जांच प्रतिवेदनों पर 03 माह के अंदर कार्यवाही की जाये। यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश है। इस संबंध में विभागीय स्तर पर समीक्षा किये जाने के भी निर्देश है।

2/ उपरोक्त निर्देशों के बावजूद शासन के ध्यान में लाया गया है कि शासन के उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है एवं निर्धारित समयावधि में जांच कार्यवाही पूर्ण न किये जाने के कारण दोषी शासकीय सेवक सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा दण्डित होने से बच जाते हैं। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है संदर्भित परिपत्रों के अनुक्रम में सक्षम अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। विलंब होने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


(एम.के.वाण्य)

प्रमुख सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 11-19/2014/1-10

भोपाल, दिनांक 19-9-2016

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, म.प्र. भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री / राज्यमंत्री के निज सहायक / निज सचिव, म.प्र. भोपाल।

4. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, म.प्र. भोपाल।
 5. अध्यक्ष म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल।
 6. महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी.नरेन्हा प्रशासन अकादमी म.प्र. भोपाल।
 7. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
 8. रजिस्ट्रार, जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर।
 9. सचिव, लोकायुक्त म.प्र. भोपाल।
 10. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म0प्र0 भोपाल।
 11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
 12. महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल।
 13. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
 14. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 15. स्टॉक फाइल।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग